रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-59/2019/1363/22-2-2019-17(456)/2018

लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली, में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी **राजेश (बन्दी संख्या-39824)** पुत्र श्री **महेश्वरदयाल**, जो ग्राम-बोहरा, थाना-बिस्वा, निवासी जनपद- सीतापुर का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-782/1995 व 373/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 498अ के अन्तर्गत मा0 अपर ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या-02, सीतापुर के आदेश दिनांक 07.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, उक्त बंदी की जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में की गयी संस्तुति तथा 14 वर्ष 06 माह 17 दिन अपरिहार सजा, 19 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा काटने तथा संतोषजनक जेल आचरण एवं दयायाचिका समिति की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये **जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2019/1363(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in